मेट्रो के सीतापुरा से अंबाबाड़ी फेस की डी.पी.आर. नये सिरे से बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, टी. रविकान्त, जयपुर मेट्रो के सीएमडीपी. रमेश सहित जेएमआरसी के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुरवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता पर है। इसे देखते हुए जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित किया जाये। इस प्रोजेक्ट में खर्चे व लागत का समुचित आकलन किया जाये ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

- **जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल के रूप में विकसित करें : भजनलाल शर्मा**

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मेट्रो के नए फेज सीतापुरा से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक विस्तार की डीपीआर नए सिरे से बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्ययोजना में शामिल जयपुर मेट्रो के फेज 1-डी (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड चौराहे तक) का शिलान्यास भी शीघ्र किया जाए। शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो की कनेक्टिविटी में शहर के भीड़ वाले प्रमुख स्थलों को सम्मिलित किया जाए। साथ ही भविष्य में इसके विस्तार की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री)शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव (मुख्यमंत्री)आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव (नगरीय विकास)टी. रविकान्त, जयपुर मेट्रो के सीएमडीपी. रमेश सहित जेएमआरसी के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

संदीप भटनागर बने एस.बी.आई. राजस्थान प्रमुख

जयपुर, (का.सं.)। संदीप भटनागर ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जयपुर मंडल के राजस्थान प्रमुख के रूप में मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार राजेश कुमार मिश्रा से ग्रहण किया। मिश्रा वर्तमान पद पर सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद 29 फरवरी को रिटायर हो गये हैं। भटनागर ने वर्ष 1994 में प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में बैंक में सेवा की शुरूआत की।

सभी क्षेत्रों में भारत को अग्रणी करने के लिए मिलकर प्रयास करें : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने युवाओं का आव्हान किया है कि वे "विकसित भारत 2047" की संकल्पना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में भारत को अग्रणी करने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए शिक्षा के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी और उद्यिमता की बड़ी भूमिका होगी। शिक्षण संस्थान इसी अनुरूप भविष्य की दृष्टि के लिए कार्य करें।

मिश्र शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स द्वारा आयोजित 'शंकरा ग्लोबल हैकाथॉन' में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हैकाथॉन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे युवाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। उन्होंने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का आधार बताते हुए कहा कि बढ़ती आबादी और जरूरतों के हिसाब से तकनीक आधारित सुनियोजित विकास जरूरी है। उन्होंने प्रौद्योगिकी, शोध और अनुसंधान तथा नवाचारों का सही इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में लिए जाने पर जोर दिया। इससे पहले उन्होंने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं उनके शोध कार्यो को नई दिशा देने के लिए प्रकाशित तकनीकी शिक्षा से जुड़ी "टेक्नीकोन" पत्रिका और हिंदी में कृषि विषयक पत्रिका 'किसान इन्टरनेशनल' का लोकार्पण किया।

जे.जे.एम.घोटाले में ईडी ने ठेकेदार के बेटे को गिरफ्तार किया

जयपुर। जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएचईडी के ठेकेदार पदम चंद जैन के बेटे को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोपी पीयूष जैन को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का रिमांड लिया है।

ईडी ने इस साल 17 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जयपुर और बांसवाड़ा जिलों में 8 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान 11.42 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की थी। उस दौरान ईडी ने अहम साक्ष्य और दस्तावेज बरामद किए थे। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी, पीएचईडी के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई थी। सूत्रों के अनुसार पीयूष जैन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ बाद उसे गिरफ्तार किया। पीयूष के पिता ठेकेदार पदम चंद जैन को पिछले साल 2.20 लाख रुपए के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था।

सूत्रों के अनुसार ईडी को इस गिरफ्तारी से राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल धन के लेन-देन के बारे में और जानकारी मिलेगी। इससे पहले पिछले साल नवंबर में ईडी ने पीएचईडी के इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों सहित 23 स्थानों पर तलाशी ली थी।

कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति, करौली

क्रंमाक: लेखा/2024/168 दिनांक-27.02.2024

खुली निविदा सूचना संख्या 3 वर्ष 2024-25

ऑफिस आलमिरा क्रय हेतु इच्छुक फर्म/निर्माताओं से निविदाऐं आंमत्रित की जाती हैं, जो कार्यालय समय मे दिनांक 11.03.24 को सांय 03.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी व वित्तीय निविदाऐं अलग-अलग सीलबंध लिफाफे मे दिनांक 12.03.24 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त निविदाऐं दिनांक 12.03.24 दोपहर बाद 2.00 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष गठित क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में की जा सकती है। कार्य की अनुमानित लागत 09.00 लाख है।

सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति करौली

पश्चिम मध्य रेल

कैशलेस आधार पर पैथोलॉजी जांच की सुविधा

अभिव्यक्ति की अभिरुचि

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कोटा द्वारा मंडल रेलवे चिकित्सालय कोटा, उप मंडल रेलवे चिकित्सालय गंगापुर सिटी और स्वास्थ्य केन्द्र सवाई माधोपुर, बून्दी, भरतपुर एवं तुगलगाबाद के रेल लाभार्थियों को CGHS दर पर कैशलेस आधार पर पैथोलॉजी जांच की सुविधा हेतु अभिव्यक्ति की अभिरुचि आमंत्रित किये जाते है।

कोटा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, बून्दी, भरतपुर एवं तुगलगाबाद के इच्छुक डायग्नोस्टिक जांच केन्द्र अपना आवेदन कर सकते हैं। पूर्ण विवरण पश्चिम मध्य रेल की बेवसाईट **wcr.indianrailways.gov.in** पर एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल रेल चिकित्सालय कोटा के कार्यालय में उपलब्ध है।

जमा करने की अंतिम तिथि: दिनांक 11.03.2024 अपरान्ह 03.00 बजे तक।

जमा करने का पताः कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडल रेल चिकित्सालय कोटा-324002.

स्वच्छ भारत अभियान - एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) दौसा

क्रमांक : जिपदौ/लेखा/निविदा/2023-24/11103 दिनांक : 29/02/2024

ई-निविदा सूचना 11/2023-24

जिला परिषद् दौसा के अधीन पंचायत समिति बसवा में स्वीकृत पंचायत भवन निर्माण कार्यो का पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 181 के अन्तर्गत पंचायत समिति भवन का निर्माण कार्य करवाने हेतु अलग-अलग कार्यवार ई-निविदा (प्रोक्यूरमेन्ट) प्रक्रिया से खुली निविदाऐं जिला परिषद स्तर पर दिनांक 16.03.2024 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा दिनांक 18.03.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक अमानता राशि, आवेदन शुल्क, RISL शुल्क का डी.डी./बैंकर चैक एवं शपथ-पत्र आदि दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने है एवं दिनांक 18.03.2023 को दोपहर 3.00 बजे से उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी। विस्तृत जानकारी हेतु ऑन-लाईन वेब-साईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ & http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

UBN No. ZDA2324WSOB00190
NIB CODE ZDA2324A0176

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद दौसा

एएनएम भर्ती की अंतिम चयन सूची पर अंतरिम रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अर्जेन्ट टेम्परेरी बेसिस के आधार पर हो रही एएनएम भर्ती-2023 में जयपुर जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने को चुनौती देने के मामले में भर्ती की अंतिम चयन सूची व नियुक्ति आदेश जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक व सीएमएचओ जयपुर से 22 मार्च तक जवाब मांगा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश अलवर निवासी संयोगिता यादव की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सोगत रॉय ने बताया कि राज्य सरकार ने 11 अगस्त 2023 को भर्ती विज्ञापन जारी कर यूटीबी के आधार पर एएनएम की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली। इसमें जयपुर जिले के अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता देने के लिए कहा। ऐसे में याचिकाकर्ता के जयपुर से बाहर अलवर जिले का निवासी होने के चलते उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वह मेरिट में आ रही है, लेकिन जयपुर से बाहर का होने के कारण उसे नहीं बुलाया है। जबकि मेडिकल एंड हैल्थ अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए और इसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन का निर्देश देते हुए उसे नियुक्ति दी जाए। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए अंतिम चयन सूची व नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अंतिम चयन सूची और नियुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें : आरुषि मलिक

जयपुर, (का.सं.)। संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक ने कहा कि जयपुर संभाग में आमजन को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हों इसके लिए चिकित्सा अधिकारी हर संभव प्रयास करें। इसके लिए चिकित्सा अधिकारी मेरा अस्पताल मेरा वार्ड अभियान के तहत क्षेत्र के भामाशाहों से समन्वय कर चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर जरूरी चिकित्सकीय उपकरण, इंतजाम एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। यह बात उन्होंने शुक्रवार को संभागीय आयुक्तालय स्थित सभागार में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में कही।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में समय पर मेडिकल रिलीफ सोसायटी की बैठकों का आयोजन कर चिकित्सालयों के विकास कार्यों, कार्मिकों, दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि जमीन आवंटन संबंधी मामलों को सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर जल्द से जल्द निस्तारण करें।

बैठक में संभागीय आयुक्त ने चिकित्सा अधिकारियों से चिकित्सकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए सुझाव भी लिये। उन्होंने कहा कि सीएसआर एवं विधायक कोटे के धन का सदुपयोग कर भी अपने चिकित्सालय एवं केन्द्रों पर एंबुलेंस, उच्च स्तरीय जांच एवं चिकित्सकीय उपकरण से आमजन के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त प्रवीण कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे।

जेडीए सीवेज लाइन को एसटीपी में जोड़ें : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के अंबाबाड़ी इलाके की सीवरेज लाइन का पानी द्रव्यवती नदी में मिलने और इससे जल व वायु प्रदूषण फैलने को चुनौती देने के मामले में जेडीए को निर्देश दिए हैं। अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह क्षेत्र में सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोड़े और नीरी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करे। वहीं इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए शिकायती पत्र व प्रतिवेदनों पर भी तीन महीने में उचित कार्रवाई करे। जेडीए क्षेत्र में वायु व जल प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित करे। वहीं यदि जेडीए मामले में उचित कार्रवाई नहीं करे तो याचिकाकर्ता मामले को दुबारा अदालत के समक्ष लाने के लिए स्वतंत्र है। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अंबाबाड़ी विकास समिति के सचिव आलोक गुप्ता की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता गोपाल सिंह बारहठ ने बताया कि अंबाबाड़ी इलाके में डेजर्ट इन के पास जेडीए ने सीवरेज लाइनों को एसटीपी में नहीं जोड़ा है और इसके चलते स्थानीय कॉलोनियों के सीवरेज का गंदा पानी द्रव्यवती नदी में आकर मिल रहा है। वहीं नीरी ने अपनी रिपोर्ट में सीमेंट-कंक्रीट का पक्का चैनल बनाने के लिए कहा था, लेकिन यह जगह अभी भी कच्ची ही है और इसे अब तक पक्का नहीं किया गया है। ऐसे में जेडीए नीरी की रिपोर्ट के अनुसार काम नहीं कर रहा है।

कार्यालय नगर पालिका लालसोट (दौसा)

E: mail ID:lalsot.jaipur@yahoo.com, Ph.: 01431-260714

क्रमांक:न.पा.ला/कृ.भू.रू./2024/6558 दिनांक 1.3.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जात है नगर पालिका में निम्न आवेदकों द्वारा कृषि भूमि में पट्टा पत्रावली प्रस्तुत की है यदि उक्त आवेदन पर किसी आम व खास को कोई उज्र/आपत्ति हो तो पालिका में सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करे याद मियाद गुजरने पर किसी भी उज्र /आपत्ति पर कोई विचार नही किय जावेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	खसरा नं. कस्बा व कॉलोनी नाम	वर्गगज	प्रयोजन
1	दीपक कुमार जागा पुत्र गेंदालाल जागा गंगापुर सिटी	2547/1 श्रीराम वाटिका चक राजौली	100	आवासीय
2	छोटी देवी पत्नी फैली राम मीणा सूरजपुरा	उपरोक्त	100	आवासीय
3	बाबूलाल मीणा पुत्र शिवदयाल मीणा कोड़ीयाई	2106,2107 वृंदावन विहार लालसोट	133.33	आवासीय
4	बाबूलाल मीणा पुत्र शिवदयाल मीणा कोड़ीयाई	215 मीना कॉलोनी राजौली	133.77	आवासीय
5	अनीता शर्मा पत्नी शक्ति स्वरुप शर्मा लालसोट	580 श्री राम कॅालोनी लालसोट	411.84	आवासीय
6	अनीता शर्मा पत्नी शक्ति स्वरुप शर्मा लालसोट	उपरोक्त	165	आवासीय
7	अनीता शर्मा पत्नी शक्ति स्वरुप शर्मा लालसोट	उपरोक्त	223.88	आवासीय
8	कालूराम मीणा पुत्र कल्याण मीणा सिरसाली	590/231 ग्रीन सिटी श्योनन्दा की झोपड़िया	168.15	आवासीय
9	रामप्यारी देवी पत्नी बनवारी लाल मीणा नागरियावास	2121,2125,2131, 2132,2157,2158 लक्ष्मी नारायण द्वितीय लालसोट	326.42	आवासीय
10	गिर्राज प्रसाद पुत्र हीरालाल सैनी लालसोट	1215 गंगापुर रोड लालसोट	80.75	आवासीय
11	गिरिराज प्रसाद पुत्र हीरालाल सैनी लालसोट	उपरोक्त	212.75	आवासीय
12	चिरंजीलाल पुत्र रामकुमार महावर श्यामपुरा कला	30/18,31/18 सांवरिया सिटी सीतारामपुरा चक नंबर 3	74.86	आवासीय
13	विमला देवी पत्नी कैलाश चंद त्रिवेदी लालसोट	1362 प्रहलाद नगर लालसोट	310.21	आवासीय
14	ममता शर्मा पत्नी दिनेश कुमार शर्मा सुंदरपुर	1372/1 प्रहलाद नगर लालसोट	156.17	आवासीय
15	हीरालाल बैरवा पुत्र लाखा बैरवा देवली	556/117 प्रताप नगर लालसोट	127	आवासीय
16	हरकेश, पंकज कुमार मीणा पुत्र श्योजी राम मीणा दौलतपुरा	4144/210,4145/210, 4148/215,4158/220, 4161/221,4162/221 पटेल नगर लालसोट	222.22	आवासीय
17	नीरज कुमार पत्नी पृथ्वीराज चौहान बामनवास	345/36 सुरक्षित नगर चांदसेन	200	आवासीय
18	मंजू शर्मा पत्नी पवन कुमार शर्मा लालसोट	4344/1338 महावीर नगर लालसोट	141.19	आवासीय
19	रीटा जैन पत्नी कमलेश कुमार जैन लालसोट	8/1 रतना नगर सलग- रामपुरा चक नंबर 3	138.75	आवासीय
20	सीमा शर्मा पत्नी जटाशंकर शर्मा, अनुराधा पत्नी महेश कुमार शर्मा लालसोट	उपरोक्त	138.99	आवासीय
21	मनोहर देवी पत्नी स्व लखन लाल, रेखा जैन पत्नी राजेश कुमार जैन लालसोट	उपरोक्त	138.99	आवासीय
22	रुकमणी बैरवा पत्नी राजेश बैरवा रघुनाथपुरा	344/36 सुरक्षित नगर चांदसेन	75	आवासीय
23	संतरा देवी पत्नी रामचरण बैरवा रघुनाथपुरा	उपरोक्त	75	आवासीय
24	रामजीलाल पुत्र राम सहाय महावर लालसोट	1416 पुरोहित कॉलोनी लालसोट	138.91	आवासीय
25	किशन लाल पुत्र लालु बैरवा देवली	556/117 प्रताप नगर थलोज	130.26	आवासीय
26	अर्चना पत्नी मोहन उपाध्याय लालसोट	21/8 माधव नगर सीतारामपुरा चक नंबर 3	43.33	आवासीय
27	छोटी देवी पत्नी रतनलाल माली कोलीवाडा	उपरोक्त	43.33	आवासीय
28	संदेश कुमार पुत्र प्रहलाद गुप्ता बिलोना कलां	उपरोक्त	146.66	आवासीय
29	संदेश कुमार पुत्र प्रहलाद गुप्ता बिलोना कलां	उपरोक्त	146.66	आवासीय
30	रमेश चंद्र पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा गोविंदपुरा	9/4 मोडल्या कॉलोनी सालगरामपुरा चक नंबर 6	200	आवासीय

उक्त आपत्ति आज दिनांक 1.3.2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

(पिंकी चतुर्वेदी)
अध्यक्ष
नगर पालिका लालसोट

(नमन शर्मा)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका लालसोट